संख्या- 14/2016/113/22-4-16-48(48)/13

प्रेषक,

आर0के0 द्विवेदी,
विशेष कार्याधिकारी,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 18 फरवरी, 2016

विषय- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के कृषि फार्म हेतु रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं पोटेटो डिगर क्रय किये जाने की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-34672/कृषि-2/11/2009, दिनांक-19 अगस्त, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त पत्र में दिये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी के कृषि फार्म हेतु रोटावेटर, कल्टीवेटर एवं पोटेटो डिगर क्रय के लिए रू0 1,99,110/-(रूपया एक लाख निन्यानवे हजार एक सौ दस मात्र) धनराशि की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1- उपकरणों का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है, उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह राजकोष में जमा करा दी जायेगी।

3- स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2016 तक कर लिया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

5- किसी भी अनियमितता के लिए महानिरीक्षक कारागार स्वयं उत्तरदायी होंगे।

6- निष्प्रयोज्य उपकरणों को नियमानुसार नीलाम करते हुए 03 माह में धनराशि राजकोष में जमा कराते हुए उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

7- प्रश्नगत उपकरण की क्षमता, आवश्यकता एवं अपरिहार्यता के विषय में सुनिश्चित/संतुष्ट होना महानिरीक्षक कारागार के दायित्वाधीन होगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत राजस्व लेखाशीर्षक "2056-जेलें आयोजनेत्तर-102-जेल उत्पाद-03-समस्त कारागार-26-मशीने और सज्जा/ उपकरण एवं संयंत्र" के नामे डाला जायेगा और उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक- 30 मार्च,2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

संख्या-14/2016/113(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(4) जिलाधिकारी, वाराणसी।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 द्विवेदी)
विशेष कार्याधिकारी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।